रुकावटें हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको सुलझाने पर पूरा गौर करती हैं। सभापति जी, मैं सम्मानित सदस्य को फिर गुजारिश करूंगी कि अगर उन्हें कोई स्पैसिफिक दिक्कत या शिकायत आयी है तो वह हमें दे दें। हम उसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सामने जरूर रखेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 204.

पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता

*204. **श्री नन्द किशोर यादव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु सभी आवेदन-पत्रों की जांच करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय अब तक प्राप्त हुए आवेदनों तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष लंबित पड़े आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने वाले सभी आवेदनों का परीक्षण करता है।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	आयोग के समक्ष लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	76	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	4	3
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2
5.	बिहार	39	2
6.	छत्तीसगढ़	1	1
7.	चंडीगढ़	7	0
8.	दिल्ली	29	4

1	2	3	4
9.	दमन व दीव	31	30
10.	दादरा व नागर हवेली	1	0
11.	गुजरात	49	3
12.	गोवा	26	6
13.	हरियाणा	36	1
14.	हिमाचल प्रदेश	4	1
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–
16.	झारखंड	1	1
17.	कर्नाटक	139	1
18.	केरल	60	0
19.	लक्षद्वीप	–	–
20.	मध्य प्रदेश	128	68
21.	महाराष्ट्र	39	0
22.	मणिपुर	–	–
23.	मेघालय	–	–
24.	मिजोरम	–	–
25.	नागालैंड	–	–
26.	उड़ीसा	96	3
27.	पंजाब	12	1
28.	पांडिचेरी	91	0
29.	राजस्थान	73	10
30.	सिक्किम	6	0
31.	तमिलनाडु	116	1
32.	त्रिपुरा	23	0
33.	उत्तर प्रदेश	155	3
34.	उत्तरांचल	4	4
35.	पश्चिम बंगाल	67	7
	कुल:	1315	155

Recognition as Backward Classes

†*204. SHRI NAND KISHORE YADAV: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the National Commission for Backward Classes examines all the applications for granting recognition as backward classes; and

(b) if so, the number of applications received so far and those pending with the Commission at present, State-wise?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of House.

Statement

(a) Yes, Sir. All applications for inclusion in the Central list of OBCs are examined by the National Commission for Backward Classes.

(b) Details are given below:

S. No	Name of the State/UT	No. of applications received	No. of applications pending with the Commission
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	76	3
2.	Arunachal Pradesh	—	—
3.	Assam	4	3
4.	A&N Islands	2	2
5.	Bihar	39	2
6.	Chhattisgarh	1	1
7.	Chandigarh	7	0
8.	Delhi	29	4
9.	Daman and Diu	31	30
10.	D&N Haveli	1	0
11.	Gujarat	49	3
12.	Goa	26	6
13.	Haryana	36	1

†Original notice of the question was received in Hindi.

1	2	3	4
14.	Himachal Pradesh	4	1
15.	J & K	—	—
16.	Jharkhand	1	1
17.	Karnataka	139	1
18.	Kerala	60	0
19.	Lakshadweep	—	—
20.	Madhya Pradesh	128	68
21.	Maharashtra	39	0
22.	Manipur	—	—
23.	Meghalaya	—	—
24.	Mizoram	—	—
25.	Nagaland	—	—
26.	Orissa	96	3
27.	Punjab	12	1
28.	Pondicherry	91	0
29.	Rajasthan	73	10
30.	Sikkim	6	0
31.	Tamil Nadu	116	1
32.	Tripura	23	0
33.	Uttar Pradesh	155	3
34.	Uttaranchal	4	4
35.	West Bengal	67	7
	TOTAL:	1315	155

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति महोदय, सरकारी नौकरियां बराबर कम होती जा रही हैं। उदारीकरण और निजीकरण से नौकरियां प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा रही हैं। इसलिए जब तक प्राइवेट कंपनियों में कानून बनाकर विधि के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक पिछड़े वर्ग के सशक्तीकरण का जो सिद्धांत है, उसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आप के माध्यम से आदरणीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है या

कोई ऐसी योजना आपके विचाराधीन है कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, यह प्रश्न मूल प्रश्न के दायरे से अलग है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप इन का कहना मान लीजिए। मेरी भी यही राय है।

श्री नन्द किशोर यादव: सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि व्यावसायिक शिक्षा में जब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उन को आगे चलकर 27 परसेंट के आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि व्यावसायिक शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हो या क्या सरकार ऐसा कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है?

श्रीमती मीरा कुमार: सर, यह भी मूल प्रश्न से बाहर है।

श्री सभापति: यह भी इसके purview में नहीं है। श्री उदय प्रताप सिंह।

श्री उदय प्रताप सिंह: आदरणीय सभापति जी, नेशनल बैकवर्ड कमीशन द्वारा रिकमंड किए गए केसेज की आप ने संख्या दी है, क्या उन सबका सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि कमीशन के पास अब तक 1315 एप्लीकेशंस आयी हैं जिन में से 1160 उन्होंने पूरी तरह से examine करने के बाद हमारे मंत्रालय को भेजा है। इन 1160 एप्लीकेशंस में से 1134 केसेज में हम ने उन की सलाह को मान लिया है। और, जो अभी हमारे पास consideration में हैं और जिन पर हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसी 26 जातियां हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उन्हें बोलने दीजिए, बीच में मत रोकिए। Let her complete.

श्रीमती मीरा कुमार: और 155 ऐसे केसेज हैं जो अभी कमीशन के पास पेंडिंग हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, मैं उस कमीशन का मेंबर रहा हूं और मुझे पता है कि कमीशन जिन को recommend करता है, उन को notifiy नहीं किया जाता और जब चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव के समय वोट के लाभ के लिए उनका अपनी तरह से इस्तेमाल किया जाता है।

मैं तो माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं। आपने प्रश्न कर लिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उदय प्रताप सिंह: उनको किसी चीज में रोका जाता है तो उसका आधार क्या है? जब कमीशन ने रिकमंड कर दिया कि उनको केन्द्र की सूची में लाया जाये तो फिर सरकार उन्हें किस आधार पर रोके रखती है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। श्रीमती एस॰जी॰ इन्दिरा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, किसी भी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं प्लीज, अब आप उनका छोड़ दीजिए।

श्रीमती मीरा कुमार: अच्छा।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, there are so many applications pending for conversion from backward classes to Other Backward Classes in State Governments. When we approved the Commission for Backward Classes, it was replied that the final decision would be taken only after the survey. There are so many petitions or applications pending for more than 15 or 20 years. When will they be considered? When will the Government undertake survey? Will the Ministry give expenses to the State Government for conducting survey? Will the Ministry come forward with it?

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I would like to clarify to the hon. Member that so far as the National Commission for Backward classes is concerned, there are only 155 cases which are pending and they are processing them, and there are 26 cases which we have received and we are taking action on them. The hon. Member wanted to know why the applictions are pending with the State Governments. Now, the State Governments have their own independent Commissions for Backward Classes. Their modalities are different. How they declare or include a person or a caste in the Backward Classes is their own criterion. It depends on their own criterion. The National Commission here does not save control over those commissions. so, I won't really be able to give you a clear-cut answer as to why applications in the State Commissions are pending because they are totally independent of the National Commission.

श्री सभापति: श्री दारा सिंह चौहान।

श्री दारा सिंह चौहान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि केंन्द्र की सूची में पिछड़ी जातियों के जो लोग शामिल हैं और किसी-किसी

प्रदेश में जो पिछड़ी जाति की सूची में शामिल नहीं हैं तो क्या उनको शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार का कोई निर्देश होगा? सभापति महोदय, मेरा B पार्ट है कि आज भी तमाम ऐसी पिछड़ी जातियाँ हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह क्वैश्चन इसमें नहीं है। इस क्वैश्चन को आप पढ़िए। आपका यह सप्लीमेंटरी इसके purview में नहीं आता है। ...(व्यवधान)... अलग से क्वैश्चन करिए।

श्री दारा सिंह चौहान: सर, यह सही है कि पिछड़ी जातियां ... (व्यवधान)... तमाम ऐसी कई जातियाँ हैं और किसी-किसी प्रदेश में जो अर्द्ध-पिछड़ी जातियों में शामिल हैं, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है और प्रदेश से अनुसूचित जाति में शामिल होने का जो प्रस्ताव केन्द्र को आया है, तो क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगीं कि जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उन पिछड़ी जाति के लोगों ने जो अनुसूची में शामिल होने का आवेदन किया है तो क्या अनुसूचित जाति में शामिल होने का निर्देश जारी करेंगे और न होने का कारण क्या है?

श्री सभापति: ठीक है। Next Question 205. ...(*Interruptions*)...

श्री दारा सिंह चौहान: सर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री सभापति: आप इस क्वैश्चन को पढ़ लीजिए फिर आपको अपने आप उत्तर मालूम हो जाएगा।

FM Radio Policy Phase-II

*205. SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government implemented the policy of Phase-II of FM radio;

(b) if so, the number of the cities brought under the new phase;

(c) the number of frequencies of 1st Phase which have been activated and the reasons, if any, for the unsustainability thereof; and

(d) whether Government have permitted the private radios to broadcast news and other current affairs programmes?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.